न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रघुनाथ पुत्र भीमाराम जाति रावल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही		1 पुखराज पुत्र डासूराम जाति रावल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा 2 चुन्नीलाल पुत्र मूलाराम जाति रावल निवसी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
स्थगन प्रार्थना पत्र

उपस्थित :–
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्रसिंह आढा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांकः– 20/3/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 679/2016 बअनवान पुखराज बनाम चुन्नीलाल में पारित आदेश दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम आरासना के खसरा नम्बर 143, 144, 145, 158, 159 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 58 बीघा 10 बिस्वा में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 160 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना जाहिर किया तथा यह भी स्पष्ट किया कि रेस्पोडेन्ट एवं अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के मध्य नदी स्थित है तथा रास्ता नदी के समानान्तरण किनारे किनारे गुजरता है, जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि के सह खातेदार आवागमन करते है। इसी सम्बन्ध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई राजूराम द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि में से रास्ते का अनुतोष चाहा था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना बताते हुए खारिज किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 10.05.2017 को प्रकरण खारिज कर दिया एवं उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति दर्शाते हुए पुनः बहस हेतु दिनांक 17.05.2017 को नियत कर दिया, यह कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। जब एक बार पत्रावली फैसले में नियत कर दी जाती है तथा आदेश लिख दिया जाता है, तो पुनः बहस में किसी भी रूप में नहीं ली जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आदेशिका में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी/कार्मिकों से रिपोर्ट तलब करने के आदेश ही पारित नहीं हुए, तो तहसीलदार की रिपोर्ट किस आधार पर एवं किस आदेश के तहत संलग्न की गई, इसका किसी भी स्तर पर विवेचन नहीं किया है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खसरा नम्बर 170 गै0मु0 नाले को पार कर ही जाना है, तो खसरा नम्बर 144, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी भूमि है, से सीधे ही रास्ते पर पहुंचा जा सकता है, इससे अपीलाण्ट की भूमि भी दो भागों में विभक्त नहीं होती तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ता भी उपलब्ध हो जाता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आदेश की आड में अपीलाण्ट की भूमि को दो भागों में विभक्त करने पर आमादा है तथा मौके पर अपीलाण्ट की भूमि में दखल अन्दाजी करने हेतु तत्पर है। यदि रेस्पोडेन्ट को नहीं रोका गया, तो अपीलाण्ट के अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें तथा अपील के निस्तारण तक जैर अपील आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर विधिवत सुनवाई कर, रेकर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। वर्तमान में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा रेकर्ड के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय से रेकर्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अपीलाण्ट का कथन है कि नदी से जा सकते है, जो गलत है, नदी से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवागमन संभव नहीं है। जैर अपील आदेश के जरिये जो रास्ता उपलब्ध करवाया गया है, वही एकमात्र रास्ता है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेकर्ड तलबी पत्र न्यायालय से दस्ती प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है, अब अधीनस्थ न्यायालय रेकर्ड भिजवाने में देरी करता है, तो इसका दण्ड अपीलाण्ट को नहीं भुगताया जा सकता है। हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है, इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में जैर अपील प्रकरण से सम्बन्धित अन्य रेकर्ड नहीं है। अतः प्रमाणित प्रतिलिपी को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में पारित आदेश दिनांक 17.01.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की हैं। हालांकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके अभाव में रेकर्ड का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत कर उसे consider करते हुए अन्तरिम व्यादेश जारी कराने का निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में दिये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं ? रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ते की मांग की गई है अथवा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, इन समस्त तथ्यों का समुचित निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं सन्दर्भित रेकर्ड/दस्तावेज प्राप्त होने पर ही संभव होगा, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है, उसके साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो नक्शा प्रस्तुत हुआ, उसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 158 में आवागमन हेतु जो मार्ग प्रस्तावित किया है, वह खसरा नम्बर 252 को दो भागो में विभक्त करता हुआ, खसरा नम्बर 170 में से होकर खसरा नम्बर 158 तक जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील आदेश की पालना करने से अपीलाण्ट की भूमि दो भागों में विभक्त होगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। इस धारा की मंशा अनुसार जहां तक संभव हो, हितबद्ध व्यक्ति कि भूमि दो भागों में विभक्त नहीं होनी चाहिये। हस्तगत प्रकरण में किन परिस्थितियों में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की भूमि को दो भागों में विभक्त करने जैसा कठोर आदेश पारित किया गया है, वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं अनुशीलन से ही स्पष्ट होगा, किन्तु यदि जैर अपील आदेश की पालना नहीं रोकी जाती है, तो निश्चय ही अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उसके हक हकूक प्रभावित होंगे। अतः अन्तरिम व्यादेश बहक इस अमर का सादिर किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर '(उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 679/2016 बअनवान पुखराज बनाम चुन्नीलाल में पारित आदेश दिनांक 17.01.2018 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया जाता है। इस आदेश की प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार पिण्डवाडा को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 20/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली